भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1856

जिसका उत्तर 22 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई परियोजनाएं

1856. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक विशेषकर महाराष्ट्र के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं हेतु आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार से वर्ष-वार कितनी निधि प्राप्त हुई तथा राज्यों द्वारा कितनी निधि का उपयोग किया गया है तथा कितनी निधि अप्रयुक्त रह गई है; और

(ग) निधि के उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके खुद के संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत विकास और प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजन-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत देश भर में (महाराष्ट्र राज्य की 26 परियोजनाओं सहित) चालू निन्यावे (99) वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरण) को 77,595 करोड़ रूपए की शेष अनुमानित लागत (31342.50 करोड़ रूपए-केंद्रीय सहायता) से राज्य के परामर्श के साथ चरणों में

पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है। सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से एलटीआईएफ के तहत वित्त पोषण की व्यवस्था केंद्र और राज्यों के हिस्से के रूप में मंजूरी दी गई है।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान पीएमकेएर -एआईबीपी के तहत उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न राज्यों को जारी निधियों और हुए खर्च का ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है। पहले जारी हुई केंद्रीय सहायता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद ही समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं।

इसके अलावा, विदर्भ, महाराष्ट्र और शेष महाराष्ट्र के निरंतर सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में कृषि संकट के समाधान हेतु यहां की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को वर्ष 2018-19 में मंजूरी दी गई है। स्पेशल पैकेज के तहत, 8 एमएमआई परियोजनाओं और 83 एसएमआई परियोजनाओं के 13,651.607 करोड़ रूपए की शेष लागत से 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से 2022-23 तक पूरा किए जाने की योजना है। इन परियोजनाओं के माध्यम से 3.77 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता लक्षित की गई है। मार्च, 20 तक इन परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं और वर्ष 2020-21 (अब तक) के दौरान 313.955 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर होने वाला व्यय 3692.231 करोड़ रूपए दर्ज किया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

"सिंचाई परियोजनाएं" के संबंध में दिनांक 22.09.2020 को लोक सभा में उत्तर दिये जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत जारी निधि और खर्च का ब्यौरा

(करोड़ रूपए)

		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21
क्र.□□	राज्य	जारी सीए	खर्च	जारी सीए	खर्च	जारी सीए	खर्च *	जारी सीए **
1	आध्र प्रदेश	15.23	106.48	0.00	63.12	0.00	30.08	0.00
2	□□□	0.00	16.92	0.00	102.61	0.00	0.00	0.00
3	बिहार	46.32	93.32	37.82	54.97	11.98	38.37	14.12
4	छत्तीसगढ़	17.25	52.38	0.00	31.83	4.09	18.67	0.00
5	□□□	0.00	6.22	0.00	10.67	0.00	56.32	0.00
6	□□□□□	1410.49	2350.54	1047.29	2299.93	485.35	964.48	0.00
7	जम्मू और कश्मीर	9.57	34.30	16.92	12.45	5.88	78.91	3.95
8	□□□□□	305.10	585.17	305.88	437.13	0.00	415.15	0.00
9	कर्नाटक	459.52	313.16	197.00	306.09	163.42	344.38	16.85
10	□□□	0.00	7.49	0.00	6.84	0.00	7.69	0.00
11	मध्य प्रदेश	181.27	485.09	81.01	535.55	26.45	116.25	11.75
12	महाराष्ट्र	363.02	2703.63	527.54	3048.66	291.68	3127.14	188.44
13	मणिपुर	25.42	78.23	21.93	141.03	30.50	59.48	0.00
14	ओडिशा	464.71	1432.68	119.38	924.70	90.65	785.44	12.85
15	□□□□	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	राजस्थान	216.87	184.30	95.15	237.50	7.04	0.78	93.61
17	□□□□□□	13.24	1028.77	1.99	1715.47	214.04	1102.98	17.34
18	उत्तर प्रदेश	65.60	863.51	397.16	2400.72	407.68	2933.86	376.01
	कुल	**3593.60**	**10342.18**	**2849.07**	**12329.27**	**1738.76**	**10079.97**	**734.92**

*अनंतिम

**वर्ष के दौरान बाद के केंद्रीय सहायता के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए राज्य द्वारा यूटिलाइजेशन रिपोर्ट किया जाता □□

******